न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 409/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अणछीदेवी पत्नी मूलाराम जाति जाट, निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बालाराम गोदारा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

–:: आदेश ::–

दिनांक : 12.02.2026

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा माधा का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 600/345 रकबा 1.6187 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खेत खसरा नम्बर 601/345, 602/345, 345 रकबा क्रमशः 3.2375, 3.2375, 3.2375 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त आराजी मूल खसरा नम्बर 345 के विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:15:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

[illegible] कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माधा का तला, तहसील शिव में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 600/345 रकबा 1.6187 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खसरा नम्बर 601/345, 602/345, 345 रकबा क्रमशः 3.2375, 3.2375, 3.2375 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:15:45 IST
Reason: SelfAttested